न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
58/2024	30.12.2024	31.10.2025

भरतलाल पुत्र कलवा जाति मीना नि0 ग्राम मीनापाडा तह0 तलावडा ——प्रार्थी

बनाम

लैण्डहोल्डर तहसीलदार तलावडा ——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राज0 अधिनियम

उपस्थित :— श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि हाल ख0न0 501 रकबा 0.32 है0, ख0न0 950/500 रकबा 0.13 है0 ग्राम मीनापाडा मे स्थित है। उक्त वर्णित भूमि की सुरक्षा हेतु प्रार्थी ने मिट्टी की डोलमेड बनाई हुई है। जो बरसात के दिनों में नष्ट हो जाने के कारण आस—पास के काश्तकारों से आये दिन सीमा विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने दिनांक 11.06.2024 को अपनी इस भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया है। इसके बाद भी आस—पास के कृषक प्रार्थी को परेशान करते रहते है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 501 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 950/500 रकबा 0.13 है0 ग्राम मीनापाडा की पत्थरगढी करवाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकॉपी नकल फर्द मौका रिपोर्ट ग्राम मीनापाडा दिनांक 11.6.2024, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 224 प्रस्तुत किए हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए है।

वकील प्रार्थी को सुना गया।

प्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी मौखिक बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 11.6.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थी की उसकी भूमि ख0न0 501 रकबा 0.32 है0, ख0न0 950/500 रकबा 0.13 है0 ग्राम मीनापाडा तह0 तलावडा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी को पडौसी काश्तकार से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 501 रकबा 0.32 है0, ख0न0 950/500 रकबा 0.13 है0 ग्राम मीनापाडा तह0 तलावडा की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार तलावडा को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 501 रकबा 0.32 है0, ख0न0 950/500 रकबा 0.13 है0 ग्राम मीनापाडा की पत्थरगढी करवावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर तलावडा को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट (राज०) गंगापुर सिटी (स०मा०) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.11.11 17:08:21 IST
Reason: SelfAttested